

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2009/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2009

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।


- विषय - विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1-7-2009 से 4% मंहगाई भत्ते का भुगतान ।
- संदर्भ - वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम/चार, दिनांक 23 जुलाई, 2009.

\*\*\*\*\*

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 23 जुलाई 2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते में दिनांक 1-7-2009 से 4% की वृद्धि की गई है । इस संबंध में कतिपय विभागों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने छठवें वेतनमान के चयन का विकल्प नहीं दिया है अथवा अभी भी वर्तमान (पांचवे) वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं के प्रकरणों में संदर्भित परिपत्र के अनुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ते की गणना किस प्रकार की जायेगी ।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत विद्यमान (पांचवे) वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले तथा अभी भी विद्यमान (पांचवे) वेतनमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के प्रकरणों में उन्हें पांचवे वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (मंहगाई वेतन सम्मिलित नहीं) को 1.86 से गुणा कर निर्धारित काल्पनिक वेतन (Notional Pay) पर नवीन दर से स्वीकृत मंहगाई भत्ते की गणना की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



( मिलिन्द वाईकर )


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
( डी.के. सक्सेना )

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग